

दीवानी (सिविल) प्रकरणों के विषय में सूचना

समस्त संबंधित पक्षकारगण/सम्माननीय अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव से निवारण संबंधी जारी की गयी एडवाइजरी दिनांक 20.03.20 के पालन में न्यायालय में दिनांक 21.03.20 से दिनांक 31.03.20 की अवधि के दौरान मामलों में नियत पेशी तारीख निम्नानुसार बढ़ाई गयी है :-

क.	पूर्व से नियत पेशी तारीख	पूर्व से नियत मामलों की संख्या	बढ़ाई गयी अगली पेशी तारीख
1	21.03.20	1	25-04-20, 25-04-20
2	23.03.20	19	25-04-20
3	24.03.20	16	04-05-20
4	26.03.20	19	09-05-20
5	27.03.20	16	27-04-20
6	28.03.20	1	25-04-20
7	30.03.20	6	02-05-20
8	31.03.20	2	02-05-20

संबंधित पक्षकारगण/अधिवक्तागण अपने मामलों में अब केवल बढ़ाई गयी पेशी तारीख पर ही न्यायालय में उपस्थित हों। पूर्व से नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। केवल नोटिस बोर्ड पर आगामी तारीख देखकर नोट करने की कृपा करें।

जमानत प्रकरण एवं अत्यावश्यक अर्जेंट मेटर के प्रकरणों की सुनवायी न्यायालय द्वारा दिन प्रतिदिन कार्य दिवस पर जारी रहेगी।

(**श्याम सिंह कनेल**)
आदिल सागर
बटम ब्यबहार न्यायाधीश बर्ग-1
सागर (म.प्र.)

फौजदारी (किमीनल) प्रकरणों के विषय में सूचना

समस्त संबंधित पक्षकारगण/सम्माननीय अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव से निवारण संबंधी जारी की गयी एडवाइजरी दिनांक 20.03.20 के पालन में न्यायालय में दिनांक 21.03.20 से दिनांक 31.03.20 की अवधि के दौरान मामलों में नियत पेशी तारीख निम्नानुसार बढ़ाई गयी है :-

क.	पूर्व से नियत पेशी तारीख	पूर्व से नियत मामलों की संख्या	बढ़ाई गयी अगली पेशी तारीख
1	21.03.20	8	25.04.20
2	23.03.20	60	09.05.20
3	24.03.20	71	11.07.20
4	26.03.20	38	25.07.20
5	27.03.20	20	04.07.20
6	28.03.20	4	02.05.20
7	30.03.20	24	27.06.20
8	31.03.20	2	02.05.20

संबंधित पक्षकारगण/अधिवक्तागण अपने मामलों में अब केवल बढ़ाई गयी पेशी तारीख पर ही न्यायालय में उपस्थित हों। पूर्व से नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। केवल नोटिस बोर्ड पर आगामी तारीख देखकर नोट करने की कृपा करें।

जमानत प्रकरण एवं अत्यावश्यक अर्जेंट मेटर के प्रकरणों की सुनवायी न्यायालय द्वारा दिन प्रतिदिन कार्य दिवस पर जारी रहेगी।

आदेशानुसार
(**भारत इस्टेड कजेल**)
न्यायिक नजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सागर (म. प्र.)